परिवार कल्याण कार्यक्रम
वित्तीय दिशा निर्देश 2016–17

कार्यक्रम का नाम– बंध्याकरण कैम्प का आयोजन (Female Sterilization Camps)

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष– A.3

बजट क्रम संख्या /एफ०एम०आर० कोड संख्या– A.3.1.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

परिवार नियोजन कार्यक्रम में वांछित उपलब्धि हेतु जिला अस्पताल/अनुमण्डलीय अस्पताल/रेफरल अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मात्र Govt. Health Facilities) स्तर पर गुणवत्तापूर्ण बंध्याकरण कैम्प के आयोजन हेतु यह राशि प्रदान की जा रही है ।

महत्वपूर्ण नोटः बन्ध्यारण कैम्प हेतु आवंटित राशि सिर्फ कैम्प के आयोजन हेतु आवंटित है। लाभार्थियों को क्षतिपूर्ति राशि (Compensation) का भुगतान बजट क्रम संख्या A.3.1.3 से किया जाना है।

इकाई राशि (रू० में)– ₹5000 (पाँच हज़ार रूपये) /प्रति कैम्प (provided minimum 15 cases conducted per camp)

वित्तीय दिशा निर्देश–

क्र० सं०	गतिविधि	कुल इकाई राशि (रूपये में)
1	Logistics requirement to improve quality of camps arrangement for comfort of beneficiaries (Bed, Mattress, Bedsheet, light, fan, Chair, Drinking Water etc)	Rs. 5000/-
2	POL/Transport for accepters	
3	Purchase of small items related to FP opreation and Pathological Test	
4	For transport of surgeon (Govt. Team & Pvt. Service Provider i.e. Surgeon/Anesthetist but not Pvt. Team under PPP Mode)	
5	IEC/BCC of the camp for client Mobilization	
6	Miscellaneous/Contingency	

Reference:

1. Manual for Standard and Quality Assurance in Sterilization Services.
2. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का पत्रांक SHSB/PM/98/2006-II/598 दिनांक 27.01.2016 (गुणवत्तापूर्ण कैम्प आयोजन करने के संबंध में।)

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का नाम – **डा० कुमार पुरूषोत्तम सिंह निराला/निशांत कुमार**

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का फोन नं० : 9470003012/9431005971

(Avinash Kumar Pandey)
State Programme Ma...